न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 27 / 2016

श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल मेवाडा जाति कलाल निवासी ग्राम सेंदरिया तहसील, ब्यावर जिला अजमेर (राज) हाल निवासी–जयपुर .....**अपीलान्ट**

बनाम

1. महेन्द्र मेवाडा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल मेवाडा जाति कलाल निवासी बिठ्ठल बस्ती, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
2. सुरेन्द्र मेवाडा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल मेवाडा जाति कलाल निवासी बिठ्ठल बस्ती, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

.....**रेस्पोडेन्टस**

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

आदेश दिनांक :– 14.09.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया वृद्व,विधवा महिला है जिसके दो जाइन्दा पुत्र रेस्पोडेन्ट महेन्द्र एवं सुरेन्द्र है। अपीलार्थी की पति की मृत्यु के पश्चात पुत्रो द्वारा उसके पति के निवास से जबरन मारपीट कर बाहर निकाल देने पर अपीलान्ट सेंदरिया स्थित अपनी जायदाद में निवास किया तो वहॉ भी रेस्पोडेन्टस द्वारा हैरान परेशान किया गया। रेस्पोडेन्टस, अपीलान्ट के जायन्दा पुत्र है एवं उसके पति की खरीदशुदा आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों पर अपना हक जमा रखा है तथा उससे लाखो रूपयों की आय अर्जित करने के बावजूद भी अपीलान्ट का भरण पोषण नहीं किये जाने पर अधिनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टस से अपीलान्ट के भरण पोषण हेतु 25,000 / – 25,000 / – रूपये प्रति माह दिलवाये जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। किन्तु अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 द्वारा न तो उक्तानुसार भरण पोषण की राशि निर्धारित की गई एवं ना ही वरिष्ठ नागरिक की सम्पति बाबत कोई आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ अधिकरण के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपीलार्थीया ने अपने अपील कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि मै वृद्व विधवा महिला हूँ। रेस्पोडेन्ट महेन्द्र एवं सुरेन्द्र मेरे जायन्दा पुत्र है। पति की मृत्यु के पश्चात रेस्पो0 पुत्रो द्वारा उसे उसके ही पति के निवास से जबरन मारपीट कर बाहर निकाल दिया। इस पर अपीलान्ट सेंदरिया स्थित अपनी जायदाद में निवास करने लगी तो वहॉ भी रेस्पोडेन्टस द्वारा हैरान परेशान किया गया। ग्राम सेंदरिया स्थित सम्पति मेरे द्वारा पुत्री संतोष मेवाडा के नाम बख्शीश की गई है। इसी बख्शीश नामें से रूष्ट होकर रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट को हैरान परेशान करना प्रारम्भ किया था। रेस्पोडेन्टस, अपीलान्ट के जायन्दा पुत्र है, उनके द्वारा उसके पति की खरीदशुदा आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों पर अपना हक जमा रखा है। रेस्पोडेन्टस येन केन प्रकारेण अपीलान्ट एवं उसकी पुत्री पर नाजायज दवाब बना रहे है कि वे अपने पति व पिता की सम्पति उनके नाम हस्तान्तरण कर दें। रेस्पोडेन्टस उसके पति की सम्पति एवं व्यापार से लाखो रूपयों की आय अर्जित करते है, इसके बावजूद भी वे अपीलान्ट का भरण पोषण नहीं करते है जो कि उनकी नैतिक व कानूनी जिम्मेवारी है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण हेतु 25,000/– 25,000/– रूपये प्रति माह दिलवाये जाने के आदेश हेतु अधिनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। किन्तु अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 द्वारा न तो उक्तानुसार भरण पोषण की राशि निर्धारित की एवं ना ही वरिष्ठ नागरिक की सम्पति बाबत कोई आदेश पारित किया गया। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधिनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 22.06..2016 को अपास्त करते हुए रेस्पोडेन्टस को उसके पति के निवास स्थान से बेदखल करने एवं अपीलान्ट को वहॉ शान्तिपूर्ण निवास करने में बाधा कारित नहीं करने तथा भरण पोषण हेतु राशि 25,000/–, 25000/– रूपये दोनो से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी की ग्राम सेंदरिया स्थित सम्पति बाबत भी रेस्पोडेन्टस को पाबन्द फरमाया जावे कि उनके द्वारा उक्त सम्पति के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही की जावें। विधवा, वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में अन्य अनुतोष जो भी न्यायालय उचित समझे प्रदान करावें।

जवाब में रेस्पोडेन्टस ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए अपने जवाब कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्टस की माता है यह बात सही है, किन्तु वह पिता की मृत्यु के पश्चात समाज के सारे बंधनों को तोडते हुए अपनी पुत्री संतोष मेवाडा के पास जाकर रहने लग गई। बहन संतोष मेवाडा शुरू से ही गलत चरित्र की लडकी हैं, इसकी शादी हमारे पिताजी ने दो बार की लेकिन इसने दोनों को छोड दिया, जिसके कारण समाज ने हमारे पिताजी को 5000/– रूपये से दण्डित भी किया। इस घटना से पिताजी बहुत आहत थे, अपने जीवनकाल में उन्होने ब्यावर पुलिस को लिखकर भी दिया कि वह अपनी पुत्री संतोष मेवाडा की शक्ल भी देखना नहीं चाहते है। पुत्रो से उन्हे कोई शिकायत नहीं रही। हमारे पिताजी श्री कन्हैयालाल मेवाडा द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से सेंदरिया में बर्फ फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन उसमें काफी नुकशान होने कारण उनके द्वारा यह फैक्ट्री रेस्पोडेन्टस के सुपुर्द की थी। रेस्पोडेन्टस द्वारा उसमें पोलट्री फार्म विकसित कर पिजाजी का अंधिकाशं

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

कर्जा उतारा था। इसी कारण से उन्हौने अपने जीवनकाल में पूरे परिवार के समक्ष यह घोषणा की थी, उसके मरने के पश्चात रेस्पोडेन्टस ही उक्त फैक्ट्री के मालिक होंगें। बहन संतोष मेवाडा द्वारा सोची समझी चाल के तहत मॉ को बहला फूसलाकर जयपुर ले जाया गया तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.01.2016 को उक्त सराधना वाली फैक्ट्री बाबत सन्तोष मेवाडा के हक में दान पत्र निष्पादित कर दिया। उक्त कार्यवाही पश्चात अधिनस्थ अधिकरण में भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। भरण पोषण अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत खुद की सम्पति से अपना भरण पोषण करने में सक्षम न होंने पर धारा 2 ए के तहत मॉ अपनी सन्तान से जिसमें बेटी भी सम्मिलित है, भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में यह भी प्रावधान है कि कोई भी वरष्ठि नागरिक किसी दानपत्र के माध्यम से अपनी किसी सम्पति का दान करती है और उक्त दान प्राप्तकर्ता उसका भरण पोषण नहीं करता है तो उक्त दान पत्र को अवैध व शून्य माना जायेगा। मौजूदा प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपनी 50,00,000/– (रूपये पचास लाख) की सम्पति अपनी पुत्री को दान कर रेस्पोडेंन्ट पुत्रो से भरण–पोषण की मॉग की गई है जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट जो कि रेस्पोडेन्टस की माता है, वह पहले भी उनके पास आराम से रह रही थी, अब वह अपनी पुत्री के बहकावे में आकर जयपुर चली गई और दुर्भावना से ग्रसित होकर षडयन्त्र के तहत रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध कार्यवाहियॉ कर रही है। रेस्पोडेन्टस, अपीलार्थी को आज भी अपने पास सभी सुख सुविधाओं सहित सम्मानपूर्वक रखने के लिए तैयार व तत्पर है। अधिनस्थ अधिकरण में अपीलार्थी द्वारा दोनों पुत्रों से 25–25 हजार रूपये प्रति माह की मांग की गई है। भारतीय समाज में एक विधवा महिला को भरण पोषण हेतु एक माह में इतनी राशि खर्च किया जाना संभव नहीं है। इससे अपीलान्ट की रेस्पोडेन्टस को हैरान परेशान करने की मानसिकता स्पष्ट है। अधिनस्थ अधिकरण में स्वयॅ द्वारा निष्पादित दान पत्र का कोई हवाला नहीं देकर तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, तथा रेस्पोडेन्ट की सम्पति व आय बाबत बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये झूठे विवरण पेश किये, इसलिए अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपनी पुत्री के बहकावे में आकर न्यायालय को गुमराह करते हुए भरण पोषण अधिनियम की आड में रेस्पोडेन्ट को जायदाद से बेदखल करने का झूठा प्रकरण प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने एवं न्यायालय का किमती समय खराब करने योग्य बेबुनियाद झूठी एवं विधि विरूद्ध अनुतोष के प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमने अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। प्रस्तुत अपील तथ्यों एवं उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों से स्पष्ट हुआ है कि रेस्पोडेन्टस (पुत्रगण), अपीलान्ट जो कि उनकी माताजी है, को भरण पोषण हेतु रूपये 10,000/– 10,000/– देने हेतु सहमत है एवं सम्मान पूर्वक अपने पास रखकर सेवा सुश्रुषा करने को भी तैयार एवं तत्पर है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.01.2016 को ग्राम सेंदरिया स्थित खसरा संख्या 378 की आबादी भूमि में स्थित सम्पति

15/8/16

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

कुल क्षैत्रफल 628.33 वर्ग गज का रजिस्टर्ड बक्षीस नामा अपनी पुत्री संतोष मेवाडा के हक में निष्पादित किया गया है एवं वर्तमान में अपनी पुत्री सन्तोष मेवाडा के साथ ही जयपुर में निवास कर रही है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 को यथावत रखते हुए उसमें यह जोडा जाता है कि दोनो पुत्र (रेस्पोडेन्टस) अपनी माताजी (अपीलान्ट) के भरण पोषण हेतु रूपये 10,000/– 10,000/– रूपये प्रतिमाह (प्रत्येक पुत्र द्वारा) संदाय कर उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से जमा करावें। यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा। रेस्पोडेन्टस इस आशय की लिखित अण्डर टेंकिग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण ब्यावर (अजमेर) के समक्ष प्रस्तुत करें। पीठासीन अधिकारी न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण ब्यावर (अजमेर) आदेश की पालना सुनिश्चित करावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.09.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/09/16

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

Scanned by CamScanner